

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 22/15 वैवाहिक

अमित बंसल उर्फ बंटी आयु 27 साल
पुत्र सुरेश बंसल जाति जाटव निवासी
शास्त्री नगर भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती पबित्रा आयु 25 साल पत्नी अमित
बंसल पुत्री रणवीर सिंह जाति जाटव
निवासी ग्राम अंगनुपुरा तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

----- अनावेदिका

आवेदिका द्वारा श्री दाताराम बंसल अधिवक्ता

अनावेदक द्वारा श्री जी0एस0निगम अधिवक्ता

//आ दे श//

// आज दिनांक 10.02.2016 को पारित किया गया //

1- आवेदकगण/याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमती के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री की याचना की है ।

2- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि अमित बंसल (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है) एवं श्रीमती पबित्रा (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदिका के रूप में वर्णित किया गया है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 5-5-09 को ग्राम अंगनुपुरा थाना गोहद में हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था । शादी होने के बाद से ही पक्षकार कं0 1 व पक्षकार कं0 2 के मध्य आपसी संबंधों में सामंजस नहीं बैठा और लड़ाई

झगडा विवाद होते रहे और दोनों के दाम्पत्य जीवन का निर्वहन भी नहीं हुआ । पक्षकार क्रं02 वर्ष 2010 से अपने पिता के घर रह रही है और दोनों के रिश्तेदारों के मध्य काफी पंचायत होने के बाद भी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं हुये । इसके बाद उनके बीच दाण्डिक प्रकरण भी चले । उपरोक्त संबंध में दोनों पक्षों के मध्य पंचायत हुयी । किन्तु पंचायत में भी कोई समझौता साथ रहने वाबत् नहीं हो पाया और तय हुआ कि दोनों पृथक पृथक निवास करने में सहमति बनी और दहेज के सामान और पैसों को वापिस करने की भी कार्यवाही हुयी जिस आधार पर आपराधिक प्रकरण में राजीनामा भी हो गया । दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर यह विवाह विच्छेद याचिका का आवेदन पेश किया गया है । ऐसी दशा में पक्षकार क्रं01 व पक्षकार क्रं02 के हक में सम्पन्न हुये विवाह दिनांक 5-5-09 को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है ।

3- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका पेश होने के उपरांत न्यायालय के द्वारा दिनांक 21-4-15, 27-4-15, 6-5-15, 14-7-15, 24-7-15, 5-8-15, 6-11-15, 11-1-16 एवं 8-2-16 के उपरांत की गयी । उक्त नियत तिथियों में भी पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते के संबंध में संभावना तलाशी गयी किन्तु उनके बीच किसी प्रकार का सुलह होने या उनके साथ में रह पाने के कोई आसार होने नहीं पाये गये ।

4- वर्तमान याचिका पेश होने के उपरांत छः माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार क्रं01 अमित बंसल एवं पक्षकार क्रं02 श्रीमती पबित्रा को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझौता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया । पक्षकारों के मध्य हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार क्रं01 अमित बंसल की पक्षकार क्रं02 श्रीमती पबित्रा विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है । इस संबंध में पक्षकारों के द्वारा शपथपत्र भी पेश किये गये हैं । आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सहमती, समझौते और उनके आपस में साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है । पक्षकार करीब चार पांच वर्ष से अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकारों के द्वारा यह व्यक्त

किया गया कि उनके मध्य अब कोई लेन देन नहीं है पक्षकार कं01 के द्वारा पक्षकार कं02 को भरण पोषण की राशि की व्यवस्था न्यायालय के बाहर अदा कर दी है जिसे कि पक्षकार कं02 ने स्वीकार किया है।

6- विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमती के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1-आवेदक पक्षकार कं01 अमित बंसल तथा श्रीमती पबित्रा पक्षकार कं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 5-5-2009 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)